तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से एड. सीताराम बिश्नोई ने वकालतनामा पेश व प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अनवानी अपील में अंकित भूमि के संबंध में मूल दावा डॉक्टर महादेव बनाम उमेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा में दिनांक 30–05–2025 को निर्णित किया जा चुका है। इसलिए अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के प्रार्थना पत्र व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–05–2025 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–12–2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 225 आरटीए में प्रस्तुत की गई थी। चुकि अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावे का निस्तारण हो चुका है। इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	